

Speed post /त्रिव डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer-  
305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/3/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: 21/12/2023

प्रेषित: खान एजेंट,  
निंबेती चूना पत्थर खान,  
मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड,  
पोस्ट बाक्स न: 33  
बांगड नगर, ब्यावर (राजस्थान),  
पिन: 305901.  
(e-mail: [shreebwr@shreecement.com](mailto:shreebwr@shreecement.com))

विषय: राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी निंबेती चूना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 11.12.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरिक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation			
11 (1)	(i) <b>Development</b>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proposal</th> <th>Actual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08 Benches in Mineral from 444 MRL to 348 MRL between W 800 to E-900 &amp; S5300 to S400</td> <td>07 Benches in Mineral from 456 MRL to 372MRL between S700-S5000 &amp;E-700 – W700</td> </tr> </tbody> </table> <p>It shows that the development has not been carried out as per approved proposal. It was observed that at places benches are not made properly and profile of benches also not maintained.</p>	Proposal	Actual	08 Benches in Mineral from 444 MRL to 348 MRL between W 800 to E-900 & S5300 to S400
Proposal	Actual			
08 Benches in Mineral from 444 MRL to 348 MRL between W 800 to E-900 & S5300 to S400	07 Benches in Mineral from 456 MRL to 372MRL between S700-S5000 &E-700 – W700			
	(ii) <b>Waste dump</b> Waste dump management has not been carried out as per approved proposal. The waste is not properly spread over dumps and at places terracing also not found.			

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसंरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

1/22295/2023

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।  
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

**(चन्द्रेश बोहरा)**  
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला पाली।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)  
भारतीय खान ब्यूरो